



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी

गरियाबन्द वन मण्डल – गरियाबन्द, जिला – गरियाबन्द (छ.ग.)

Phone No.) office(- 07706 296350

E-mail- dfogariaband.@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ भू-प्रबंध/2022-23/267

गरियाबंद, दिनांक 12/01/2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री

अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग,

सी.एस.पी.टी.सी.एल., रायपुर।

विषय :-

Diversion of 111.456 ha. of forest land in favour of Executive, EHT (Constn.) Division, CSPTCL, Gudhiyari, Raipur for Construction of 132 KV DCSS Nagari-Indagaon Transmission Line under Forest (Construction) Act, 1980 in Dhamtari and Gariaband Districts in the State of Chhattisgarh. पंजीयन क्रमांक – FP/CG/TRANS/22047/2016

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ रायपुर का पत्र क्र./F.No./ FC-III/ CH-27/2018-NGP/1044 date. 17.11.2022
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-158/2703, दिनांक 22.11.2022
3. इस कार्यालय का पत्र क्र./मा.चि./भू-प्रबंध/5109, दिनांक 13.12.2022
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-158/103, दिनांक 12.01.2023

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-03 के द्वारा अंतर की राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी किया गया था। जिसे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक-04 के माध्यम से अमान्य करते हुए संशोधित राशि का मांग पत्र जारी करने का निर्देश प्राप्त है।

कैम्पा मद अंतर की राशि (संशोधित) विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	मद	जमा राशि रु. में	मांग राशि रु. में	अंतर की राशि रु. में
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA)	16,19,58,210.00	19,59,69,501.00	3,40,11,291.00
2	औषधि रोपण (MPCA)	4,37,88,509.00	5,29,84,096.00	91,95,587.00
	योग:-	20,57,46,719.00	24,89,53,597.00	4,32,06,878.00

अतः उपरोक्त निर्देशानुसार अंतर की राशि रुपये – 4,32,06,878.00 (अक्षरी:-चार करोड़ बत्तीस लाख छः हजार आठ सौ अठहत्तर रुपये मात्रा) जमा कर बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन अंवलंब प्रस्तुत करें, ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सकें। एवीफोना योजना – का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा किया जावेगा एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु वन्यप्राणी प्रभाग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत ही पृथक से मांग पत्र प्रेषित की जावेगी।

वनमण्डलाधिकारी

गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद

गरियाबंद, दिनांक 12/01/2023

पू.क्रमांक/ मा.चि./ भू-प्रबंध/2022-23/268

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर। पत्र क्र./भू-प्रबंध/विद्युत/479-158/103, दिनांक 12.01.2023 के संदर्भ में।
2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर।

वनमण्डलाधिकारी

गरियाबंद वनमण्डल, गरियाबंद